III. निवारक कार्रवाई

1. संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों तथा ऐसी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i) संगठन द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के कार्यकाल के संबंध में आयोग ने दिनांक 19.04.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 17/04/10 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए थे जिसमें तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि का प्रावधान है जिसे अधिकतम पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ।

ii) आयोग ने दिनांक 26.04.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 18/04/10 द्वारा संगठन में ई-निविदा समाधान कार्यान्वयन करते समय दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में प्रभावकारी सुरक्षा प्रावधानों के लिए एक जांच सूची जारी की थी ।

2. आयोग द्वारा दी गई प्रणाली सुधार सलाहः

i) आयोग ने रेल मंत्रालय को सलाह दी कि कर्मचारियों की पदोन्नति के समय सुरक्षा विभाग (आरपीएफ) से निकासी (clearance) प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली का गठन किया जाए ।

ii) आयोग ने रेल मंत्रालय को सलाह दी कि स्काउट्स/गाइड कोटे के माध्यम से भर्ती किए जाने में प्रणाली सुधार किया जाए ।

iii) आयोग ने कांदला पत्तन न्याय को अपनी वेबसाईट पर बर्थिंग नीति (Bearthing Policy) को अपलोड करने की सलाह दी ।

संख्या-009/वीजीएल/016
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023
दिनांक : 19.04.2010

<u>परिपत्र सं0 17/04/10</u>

विषय: सत्यनिष्ठा समझौता - स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों का चयन तथा सिफारिश ।

भारत सरकार के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए बहुत से अनुरोध आयोग में प्राप्त होते हैं । सत्यनिष्ठा समझौते को कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक संगठनों को प्रस्ताव के साथ स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के अधिक से अधिक तीन नाम आयोग को इसके अनुमोदन के लिए भेजने होते हैं ।

2. आयोग स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति के लिए केवल भारत सरकार के विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन अधिकारियों के नामों पर विचार करेगा जो उच्च प्रबंधन पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं । आयोग उस अधिकारी/कार्यकारी के नाम पर विचार नहीं करेगा जो उसी संगठन में सेवारत हैं अथवा सेवानिवृत्त हुए हैं जिस संगठन में उनको स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नियुक्त होना है, भले ही, वे उच्च प्रबंधन में सेवा कर चुके हैं । प्रतिष्ठित व्यक्तियों, निजी क्षेत्र के यथेष्ट प्रतिष्ठित कार्यकारियों को भी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में कार्य करने के लिए विचार किया जा सकता है तथा आयोग के अनुमोदन के लिए नामों की सिफारिश की जा सकती है ।

3. स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन वर्षों की होगी तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति करने वाले संगठन से आयोग में प्राप्त अनुरोध पर दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए इसमें विस्तार किया जा सकता है । तीन वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल तथा दो वर्ष के आगे कार्यकाल विस्तार के साथ स्वतन्त्र बाहरी प्रबोधक का एक संगठन में अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है ।

4. स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के नामों की सिफारिश करने वाले संगठन उचित सचेतना तथा संवीक्षा के बाद ही उनके नाम का चयन करें तथा आयोग को भेजें ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

संख्या-009/वीजीएल/002
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023
दिनांक : 26.04.2010

परिपत्र सं0 18/04/10

विषय: ई-निविदा समाधान का कार्यान्वयन - जांच सूची ।

उपर्युक्त विषय पर, इस कार्यालय के दिनांक 17.09.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे जिसमें संगठनों को यथोचित सावधानी रखने की सलाह दी गई थी कि किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में प्रभावकारी सुरक्षा प्रावधान बनाए जाएं । मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के दौरान यह देखा गया कि कुछ संगठनों द्वारा प्रयोग किए जा रहे ई-प्रापण समाधान में सुरक्षा प्रावधानों का अभाव है जिनका आयोग के दिनांक 17.09.2009 के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है । कुछ दोष/त्रुटियां बार-बार की जा रही हैं ।

ई-प्रापण समाधान में सुरक्षा पक्ष को प्राप्त करने के लिए एक जांच सूची सूचना के लिए संलग्न है । सुरक्षा संबंधित चिन्ताओं को दूर करने के लिए ई-निविदा समाधान का कार्यान्वयन करते समय संबंधित संगठन इनका अनुपालन करें ।

(वी. रामाचन्द्रन)
मुख्य तकनीकी परीक्षक

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों/संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।